No.I.27011/2/2015-Coord.
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

New Delhi Dated: June 19 , 2015

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of May, 2015 is enclosed for information.

(J.S. Audhkhasi)
Deputy Secretary to the Government of India,
Tel.No.23381615

Encl. As above.

All Members of the Council of Ministers

Copy with enclosures forwarded to :

1. Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Secretary to the Vice- President of India, New Delhi.Cabinet Secretariat.
3. The Principal Director General, Ministry of Information & Broadcasting, Shastri Bhawan, New Delhi.
4. Secretary, Deptt. of Telecommunication, Sanchar Bhawan, New Delhi.
5. Secretary, Deptt. of Education, Shastri Bhawan, New Delhi.
6. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi.
7. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi.
8. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi.
9. Secretary, Deptt. of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, N.D.
10. Secretary, Deptt of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi.
11. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi.
12. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi.
13. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, N.D.
14. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to : (i) Economic Advisor, MCA.
(ii) PSO to Secretary, Ministry of Corporate Affairs.
(iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Copy also to: DS (AK)- To upload on MCA website please.

25/6/15
PD(ESS)
25/6/15
STA(RC)

(Ministry of Corporate Affairs)

1. **Important policy decisions taken and major achievements during the month of May, 2015.**

During the month of May, 2015, this Ministry has issued seven notifications including notifications for incorporation of eForm INC-29 (Single eForm for Incorporation of a Company). Brief details of the substance of the notifications issued is enclosed at Annexure-A.

Annexure-A

During the month of May, 2015, seven notifications have been issued under the Companies Act, 2013 Act and Rules made thereunder. A gist of the notifications is given below:-

I. This Ministry vide notification dated 01.05.2015 amended the Companies (Incorporation) Rules, 2014 in order to reduce processes involved in starting a business and ease doing business. The amendment introduced an integrated incorporation E-Form INC-29. The integrated e-Form is available for One Person Company, Private Company, Public Company and Producer Company. The new e-Form does away with the need for reserving a name for the company prior to applying for its incorporation, declarations are in-built in the e-Form, and the e-Form is enabled for future integration with e-Biz platform of DIPP for generating applications for PAN, ESIC and EPFO numbers. INC-29 does away with filing of multiple applications/forms saving time and payable fees. It combines the processes relating to:-
   i. Allotment of Director Identification Number (DIN) (up to three Directors, the minimum number required u/s 149 of the Companies Act 2013)
   ii. Incorporation of a company, and
   iii. Appointment of first Directors of the company.

II. Sections 1 to 12 and 15 to 23 of the Companies (Amendment) Act, 2015 aimed at ease of doing business and addressing concerns raised by stakeholders have been commenced w.e.f. 29.05.2015. The salient features of the commenced sections of the Amendment Act are:
   i. Requirement for minimum paid up share capital has been omitted. *[section 2(68)/2(71) of the Companies Act, 2013 (Act)].*
   ii. Common seal has been made optional. Consequential changes for authorization for execution of documents have also been made. *[sections 9, 12, 22, 46 and 223 of the Act].*
   iii. The requirement for filing a declaration by a company before commencement of business or exercising its borrowing powers has been done way with. *[Omission of section 11 of the Act and consequential change in section 248].*
   iv. Specific punishment for deposits accepted under the new Act to deal with defaults in repayment of depositor has been introduced. *[New Section 76A of the Act].*

v. Public inspection of Board resolutions filed in the Registry has been prohibited. [*section 117(3) of the Act*].

vi. Requirement to make provision for setting off past losses/depreciation before declaring dividend for the year, which was part of the Rules, has been included in the Act. [*section 123(1) of the Act*]

vii. The requirement of transferring equity shares for which unclaimed/ unpaid dividend has been transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) even though subsequent dividend(s) has been claimed has been clarified -[*section 124(6) of the Act, yet to be commenced*].

viii. Exemption u/s 185 (Loans to Directors) has been provided for loans to wholly owned subsidiaries and guarantees/securities on loans taken from banks by subsidiaries. [*section 185(1) of the Act*].

ix. 'Special resolution' has been replaced with 'resolution' for approval of related party transactions by non-related shareholders. [*section 188(1) of the Act*].

x. Related party transactions between holding companies and wholly owned subsidiaries have been exempted from the requirement of approval of non-related shareholders. [*section 188(1) of the Act*].

xi. Bail restrictions are to apply only for offences relating to fraud u/s 447. [*section 212(6) of the Act*].

xii. Winding up cases can be heard by 2-member Bench instead of a 3-member Bench. [*section 419 of the Act*].

xiii. Special Courts are required to try only those offences carrying imprisonment of two years or more.[*section 435 and 436 of the Act*].

xiv. The procedure for laying draft notifications granting exemptions to various classes of companies or modifying provisions of the Act in Parliament has been rationalized in order to ensure speedier issue of final notifications. [*section 462 of the Act*].

III. Consequent amendments due to the above Amendment Act have been carried out in Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014; Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014; Companies (Registration of Charges) Rules, 2014; Companies (Incorporation) Rules, 2014; Companies (Declaration and Payment of Dividend) Rules, 2014 vide notifications dated 29.05.2015.

*****

सं. आई-27011/2/2015-समन्वय
भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली तारीख १९ जून, 2015

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मई, 2015 के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न की जा रही है।

(जे.एस. औधखासी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23381615

संलग्नः उपरोक्तानुसार

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्न को प्रेषितः

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, नई दिल्ली, मंत्रिमंडल सचिवालय।
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव शहरी विकास विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(ii) सचिव के प्रधान स्टाफ अधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(iii) अपर सचिव के मुख्य वैयक्तिक सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः उपसचिव (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

(कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

1. मई, 2015 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीति निर्णय और मुख्य उपलब्धियां

मई, 2015 के दौरान, इस मंत्रालय ने ई-फार्म आईएनसी-29 (कंपनी के निगमन के लिए एकल ई-फार्म) को सम्मिलित करने संबंधी अधिसूचना सहित सात अधिसूचनाएं जारी की हैं। जारी की गई अधिसूचनाओं के सार का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक-क में दिया गया है।

अनुलग्नक-क

मई, 2015 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत सात अधिसचूनाएं जारी की गईं। इन अधिसूचनाओं का सार नीचे दिया गया है:

I. इस मंत्रालय ने किसी व्यापार को प्रारंभ करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को कम करने और व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में संशोधन किया है। इस संशोधन के द्वारा एक एकीकृत निगमीकरण ई-फार्म आईएनसी-29 प्रारंभ किया है। यह एकीकृत ई-फार्म एकल वाली व्यक्ति कंपनी, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और निर्माता कंपनी के लिए उपलब्ध है। इस नए ई-प्ररूप में कंपनी को अपने निगमीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व एक नाम आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, इस ई-प्ररूप में घोषणा अंतनिर्हित है और यह ई-फार्म, पैन संख्या, ईएसआईसी और ईपीएफओ संख्याओं के लिए आवेदन करने हेतु डीआईपीपी के ई-बिज़ प्लेटफार्म के साथ भावी एकीकरण को संभव बनाता हैं। आईएनसी-29 में बहुत से आवेदन/ प्ररूप नहीं भरने होते है, जिससे समय और भुगतान शुल्क की बचत होती है। इसमें एक साथ निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाती हैं :-

    I. निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) का आबंटन (तीन निदेशकों तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत अपेक्षित न्यूनतम संख्या)।
    II. किसी कंपनी का निगमीकरण और
    III. कंपनी के प्रथम निदेशकों की नियुक्ति

II. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 1 से 12 और 15 से 23 का उद्देश्य व्यापारिक सुविधा को सरल बनाना है और शेयरधारकों की चिंताओं का समाधान करना है। इन्हें दिनांक 29.05.2015 से प्रारंभ कर दिया गया है। इस संशोधित अधिनियम की प्रभावी गई धाराओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है:-

    I. न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। [कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 2(68)/2(71)]
    II. सामान्य मुहर को वैकल्पिक कर दिया गया है। दस्तावेजों के निष्पादन के लिए अनुमोदन के वास्ते परिणामीस्वरूप के परिवर्तन भी किए गए हैं। [अधिनियम की धारा 9,12,22,46 और 223]
    III. किसी कंपनी द्वारा व्यापार प्रारंभ करने या अपनी ऋण लेने की शक्तियों के प्रयोग से पहले एक घोषणा पत्र दाखिल करने की अनिवार्यता समाप्त

कर दी गई है। [अधिनियम की धारा 11 को हटाना और परिणामस्वरूप धारा 248 में परिवर्तन]

IV. जमाकर्ता के पुनः भुगतान में होने वाली चूक का समाधान करने के लिए इस नए अधिनियम के तहत स्वीकार की गई जमाओं के लिए विशेष दंड का प्रावधान किया गया है। [अधिनियम की नई धारा 76 क]

V. रजिस्ट्री में दायर किए गए बोर्ड संकल्पों के सार्वजनिक निरीक्षण को निषिद्ध किया गया है। [अधिनियम की धारा 117(3)]

VI. वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा करने से पूर्व अतीत के घाटों/अवमूल्यन को दूर करने के लिए आवश्यक प्रावधान तैयार करना, जो पहले नियमों का हिस्सा थे, को अब इस अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। [अधिनियम की धारा 123(1)]

VII. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईपीएफ) को हस्तांतरित किए गए अदावाकृत/अदत्त लाभांश के लिए इक्विटी शेयरों के हस्तातरण की आवश्यकता है। भले ही इसे अनुवर्ती लांभाशों का दावा किया गया है। [इसे अधिनियम की धारा 124(6), में स्पष्ट किया गया है जो अभी लागू होना है]

VIII. धारा 185 के अंतर्गत (निदेशकों को ऋण) को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए ऋण हेतु छूट तथा सहायक कंपनियों द्वारा बैकों से लिए ऋण पर गारंटी/ प्रतिभूति उपलब्ध कराई गई है। [अधिनियम की धारा 185(1)]

IX. गैर संबंधित शेयरधारकों द्वारा संबंधित पक्षकार ट्रांजेक्शन की अनुमति हेतु विशेष संकल्प के स्थान पर संकल्प रखा गया है। [अधिनियम की धारा 188(1)]

X. धारक कंपनीयां एवं पूर्ण स्वामितत्व वाली सहायक कंपनियों के मध्य संबंधित पक्षकार ट्रांजेक्शन को गैर संबंधित शेयरधारकों की अनुमति की अनिवार्यता से छूट दी गई है। [अधिनियम की धारा 188(1)]

XI. धारा 447 के अंतर्गत केवल धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों पर जमानत संबंधी प्रतिबंध लागू होगें। [अधिनियम की धारा 212(6)]

XII. समापनाधीन मामलों की सुनवाई 3 सदस्यीय बैन्च की जगह अब 2 सदस्यीय बैच में हो सकेगी। [अधिनियम की धारा 419]

XIII. विशिष्ट न्यायालय केवल उन्हीं अपराधिक मामलों पर कार्रवाई कर सकेगें जिनमें 2 वर्ष या अधिक का कारावास हो। [अधिनियम की धारा 435 और 436]

XIV. विभिन्न श्रेणी की कंपनियों को रियायत की गारंटी देने या इस अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित करने वाली प्ररूप अधिसूचनाओं को संसद में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि अंतिम अधिसूचनाएं अति शीघ्र प्रभावी हो सकें। [अधिनियम की धारा 462]

III. उपरोक्त संशोधन अधिनियम के परिणामी संशोधनों को कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेचर) नियम, 2014 ; कंपनी (कार्यालय पंजीकरण एवं फीस) नियम, 2014, कंपनी (प्रभारों का पंजीकरण) नियम, 2014, कंपनी (निगमन) नियम, 2014, कंपनी (लाभांश की घोषणा एवं अदायगी) नियम, 2014 के द्वारा दिनांक 29.05.2015 की अधिसूचना के द्वारा लागू किया गया।